



# FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forest officer, Sirsa

Hisar by-pass road, Sirsa. Tel. & Fax. No. 01666-243307 Email:- dfo.sir-hry@nic.in

क्रमांक: 1.6 41-43

दिनांक: 19.10.15

सेवा मे

वन संरक्षक,  
पश्चिमी परिमण्डल, हिसार।

**विषय:** Diversion of 3.240 ha of forest land for laying OFC by Reliance Jio Infocomm Limited from Sirsa to Keharwala via Bhamboor-Madhosighana-Ellenabad-Jiwannagar-Sadewala-Keharwala road (total route length 72 Km), under Forest Division & Distt. Sirsa.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित एफ0सी0ए0 केस तैयार करके 4 प्रतियों में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न भेजा जाता है। इस केस मे कोई वृक्ष बाधक नहीं है व न ही पौधारोपण को कोई नुकसान होगा। एरिया वन्य प्राणी विहार / नेशनल पार्क में नहीं पड़ता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के पृ0 क्रमांक एन0टी0 626-27 दिनांक 22.04.2008 द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिन ओ0एफ0सी0 केसों में पेड़ नहीं कटने है, उन केसों में सी0ए0 की राशि नहीं ली जानी है व उनके पत्र क्रमांक प्रशा-डी-3 / 1984-2003 दिनांक 04.06.2008 द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिन केसों का एरिया वन्य प्राणी विहार / नेशनल पार्क में नहीं पड़ता है, उन ओ0एफ0सी0 केसों में एन0पी0वी0 की राशि नहीं ली जानी है। मौके पर एफ0सी0ए0 -1980 की कोई उल्लंघना नहीं है। यह केस वेबसाईट पर फाईल नम्बर FP/HR/others/14954/2015 पर अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न/उपरोक्त

*A. Ka*  
उप वन संरक्षक,  
सिरसा वन मण्डल,  
सिरसा।

पृ0क्रमांक:

दिनांक:

1. इसकी एक प्रति वन राजिक अधिकारी, सिरसा व रानियां को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि एफ0सी0ए0-1980 की उल्लंघना न होने दें। मन्जूरी से पहले प्रयोक्ता एजेसी को कोई कार्य आरम्भ न करने दें।
2. इसकी एक प्रति प्रबंधक, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0, सी-135, इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज -8, मोहाली-160055 (पंजाब) को भेजकर लिखा जाता है कि मन्जूरी से पहले कोई कार्य आरम्भ न करें।

*sel*  
उप वन संरक्षक,  
सिरसा वन मण्डल,  
सिरसा।